न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 74 / 2018 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामनारायण पि. सेवा उर्फ शिवलाल जाति मेहर नि. रोशनबाडी तहसील रायपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. मेहमूद शेरखां पि. हाजी शेरखां जाति मुसलमान नि. टोंक राज.
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री पूरीलाल राठौड

आदेश दिनांक : 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम रोशनबाडी के नामा.सं. 84 में गत कृषक का अंकन कालम सं. 5 में हाजी खां पि. शेरखां मुसलमान का नाम दर्ज है एवं नवीन कालम सं. 11 में रामा वल्द गंगाराम बलाई के नाम दर्ज है। कालम सं. 16 में ख.नं. 29 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व ख.नं. 29 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा आराजी के संबंध में तत्कालीन राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट के अनुसार सं. 2012 से पूर्व रामा पि. गंगाराम बलाई जेली काश्तकार के रूप में चले आ रहे है किन्तु तहसीलदार पिडावा ने पटवारी कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर सं. 2011 में खसरा टीप में खाना खाली होने के आधार पर उक्त नामान्तकरण को खारीज कर दिया।

जमाबंदी सं. 2013–16 के खाता सं. 103 तथा जमाबंदी सं. 2019–22 के खाते में जेली काश्तकार के रूप में रामा पि. गंगाराम बलाई का नाम उक्त आराजी में दर्ज है। रामा खातेदार के पिता गंगाराम ... उक्त आराजी पर कब्जा काश्त रहा है। इस आराजी को हाजी शेरखां पि. ... ने दिनांक 11.05.1967 को एक इकरारनामा आ... कर प्रार्थी ... शिवलाल पि. गंगाराम ... को

Signature Not Verified
Digitally Signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बेचान किया। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का एवं उससे पूर्व उनके पिता शिवलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है जो कि सबके ज्ञान में है। प्रतिवादी सं. 1 का उक्त वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है उसने कभी वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं की है। प्रतिवादी सं. 1 अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर उतारू है। ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 197 की आराजी किता 12 रकबा 56 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है जिसे वह बेचान करने पर उतारू है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपरिमित क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 197 की आराजी किता 12 रकबा 56 बीघा भूमि को अंतरण नहीं करें एवं प्रार्थीगण के कब्ज काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम रोशनबाडी का नामा.सं. 84 , जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 197 नकल , जमाबंदी सं. 2013–16 , जमाबंदी सं. 2019–22 की नकल , मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया परन्तु सम्मन पर Reffuse का अंकन होकर वापिस प्राप्त हुये जिससे अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली गई।

वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकील वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 197 की आराजी किता 12 रकबा 56 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सं. 2013–16 के खाता सं. 126 की नकल अनुसार खातेदार हाजी हामीद शेरखां के खाते में ख.नं. 22 , 29 , 30/1 , 30/2 में रामा पि. गंगाराम बलाई के नाम का अंकन है एवं जमाबंदी सं. 2019–22 के खाता सं. 126 की नकल अनुसार खातेदार हाजी हामीद शेरखां के खाते में ख.नं. 22 के बटा नं. एवं 29 , 30/1 , 30/2 में रामा पि. गंगाराम बलाई के नाम का अंकन है। खातेदारी टाईटल का विनिश्चय प्रकरण से संबंधित वाद में साक्ष्य , बयान एवं बहस सुनकर गुण अवगुण के आधार पर तय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2023

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रतीत होता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने की स्थिति में अपूरनीय क्षति की संभावना प्रार्थी को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम रोशनवाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 197 की आराजी किता 12 रकबा 56 बीघा भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:18 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2023

Scanned with OKEN Scanner